

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (9-II) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/98

दिनांक: 30/1/2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु 60 प्रतिशत अंक के स्थान पर 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को उक्त योजना का लाभ देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है ।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में विशेष पिछड़ा वर्ग की नियमित अध्ययनरत् छात्रा जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्न एवं उत्तरार्द्ध में यदि 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तो प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र भरवाकर समस्त दस्तावेजों सहित प्रमाणित कर निदेशालय को 15 फरवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से भिजवाने का श्रम करें तथा इस आशय की सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से चस्पा की जावें । अपूर्ण एवं अपात्र आवेदन प्रेषित नहीं किये जायें ।



(आर. एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (9-II) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/
प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी को अपलोड हेतु ।

दिनांक: